सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

...अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)

...संख्या– 18/2019

...नेरेती पुत्रश्री किशनलाल 2–मु0 पुनियां 3–मु0 प्रेमदेई 4–मु0 अनारदेई पुत्रीयांन ...शनलाल जातिगण चमार निवासीगण मालोनी पंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

..........................वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

..................................प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री *योगेशकुमार शर्मा एडवोकेट* .... (वादीगण)

निर्णय **दिनांक : 03/10/2019**

वादीगण द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 527 रकवा 2 वीघा 529 रकवा 2 वीघा 10 विश्वा स्थित वाके ग्राम मालोनीपंवार तहसील सैपऊ के वादीगण राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक गैरखातेदार काश्तकार है एंव मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के पिता व किशनलाल वल्द घूरेलाल राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार अंकित है। विवादित आराजी का नियमन दिनांक 15.12.1973 को नायब तहसीलदार सैपऊ धौलपुर द्वारा वादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व0 किशनलाल के नाम किया गया था जिसके तहत किशनलाल के नाम दिनांक 28.12.1974 को नामा0 स्वीकार कर लिया गया और उसे गैरखातेदार काश्तकार दर्ज किया गया । वादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता किशनलाल नियमन करने से पूर्व ही विवादित आराजी पर काबिज होकर काष्त कर रहा था और नियमन के बाद अपनी मृत्यु तक लगातार काबिज होकर काश्त करता रहा है। किशनलाल की मृत्यु वादायरी से करीव 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृतक किशनलाल के जायम कायम मुकाम एंव वारिसान वादीगण ही है। उनके नाम विरासत में दिनांक 07.06.1992 नामा0 संख्या 1187 से दाखिला खारिज हों चुका है। वादीगण अपने पिता के समय से ही विवादित आराजी पर लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे है। और इस समय भी काबिज काश्त है। रेगूलाईजेशन के 10 वर्ष वाद किशनलाल की हैसियत स्वतः ही खातेदार काश्तकार की हो गई लेकिन पटवांर कागजात में वह गैरखातेदार काष्तकार ही बना रहा। वादीगण विवादित आराजी पर स्वंय को खातेदार मानते थे क्योकि वह अनपढ व्यक्ति है वादीगण को आज से करीव 6 माह पूर्व कृर्षि लोन लेने की आवश्यकता हुई तथा पटवारी हल्का से नकल मांगी तब पटवारी ने बताया कि इस आराजी पर तुम गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है। तब वादीगण ने अन्तर्गत धारा 80 जा0 दी0 का

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

[illegible] और उसकी म्याद व्यतीत होने पर यह दावा न्यायालय श्रीमान प्रस्तुत किया [illegible] है। विवादित आराजी पर किशनलाल का रेगूलाईजेशन के करीव 8 साल पूर्व से ही विवादित आराजी में काश्त कर रहा था और इस प्रकार रेगूलाईजेशन के 10 साल वाद किशनलाल को खातेदारी अधिकार दे दिये जाने चाहिये जो नही दिये गये इसके बाबजूद किशनलाल को विवादित आराजी परी लगातार काश्त करते हुये करीव 30 वर्ष हो गये। उसके साथ ही वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके है।

अंन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार सैपऊ द्वारा जबाब प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किया गया है कि ग्राम मालोनी पंवार कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। गैरखातेदारी/खातेदारी दिये जाने से पूर्व प्रिमियम राशि जमा कराई जाती है जो वादीगण ने जमा नही कराई है तथा खातेदारी अधिकारो हेतु वादीगण ने कोंई आवेदन प्रस्तुत नही किया है तथा कब्जें के सम्बध मे कोई साक्ष्य पेश नही किया है।

उक्त प्रकरण मे पूर्व न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर में उनवानी निरोती बनाम राज0 सरकार नम्बरी 22/2005 को दिनांक 24.05.2010 को वादीगण के विरूद्व दस्तावैज प्रदर्श नही कराने की बजह से खारिज कर दिया था। निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05. 2010 के विरूद्व वादीगण ने न्यायालय श्रीमान भू0 प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर केम्प धोलपरु के समक्ष अपील उनवानी निरोती बनाम राज0 सरकार नम्बरी 31/2017 आरसीएमएस संख्या 2017/00187 प्रस्तुत की थी जो दिनांक 14.06.2018 को अपीलान्ट/वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाकर पत्रावली निर्देशो के साथ सुनवाई व अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका प्रदान करने व पुनः निर्णय पारित करने के लिये पत्र प्रेषित की गई।

उभयपक्ष के दावा एंव जबाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई। 1—आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 527, 529 वाके ग्रम मालोनी पंवार तहसील सैपऊ के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।(वादीगण) 2—आया वादीगण ने आवंटन की शर्तो का पालन किया है (वादीगण)

अनुतोष—

वादीगण नें अपने वाद पत्र के समर्थन में ब्यान वादी निरोती पीडब्ल्यू—1, जमावन्दी संवत नामा0 संख्या 211 वाके ग्रम मालोनीपंवार प्रदर्श 1 है, नामा0 संख्या 1187 वाके ग्राम मालोनी पंवार प्रदर्श 2 है, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 है, विधिक नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श 4 है, जमावन्दी संवत 2047 से 50 प्रदर्श 5 है, खसरा गिरदावरी संवत 31 प्रदर्श 6 है, नकल निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सैपऊ दिनांक 20.04.1966 प्रदर्श 7 है, जमावन्दी संवत 2059 से 66 प्रदर्श 8 है, जमावन्दी संवत 2055 से 58 प्रदर्श 9 है, खसरा गिरदावरी संवत 2059 से 62 प्रदर्श 10 है, मिसिल वन्दौवस्त प्रदर्श 11 है, जमावन्दी संवत 2055 से 58 प्रदर्श 12 है,जमावन्दी संवत 2034 से 37 प्रदर्श 13 है, जमावन्दी संवत 2047 से 50 प्रदर्श 14 है, नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

प्रदर्श 15 है, जमावन्दी संवत 2034 से 37 प्रदर्श 16 है, जमावन्दी संवत 2038 से 41 प्रदर्श 17 है,जमावन्दी संवत 2043 से 46 प्रदर्श 18 है, जमावन्दी संवत 2051 से 54 प्रदर्श 19 है, जमावन्दी संवत आधार वर्ष 2005 प्रदर्श 20 है, जमावन्दी संवत 2059 से 62 प्रदर्श 21 है, जमावन्दी संवत 2063 से 66 प्रदर्श 22 है, जमावन्दी संवत 2067से 70 प्रदर्श 23 है,जमावन्दी संवत 2030 से 33 प्रदर्श 24 है,खसरा संवत 2071 से 74 प्रदर्श 25 है, खसरा नम्बर 2067 से 70 प्रदर्श 26 है, खसरा संवत 2063 से 66 प्रदर्श 27 है, खसरा संवत 2049 से 52 प्रदर्श 28 है, खसरा संवत 2053 से 56 प्रदर्श 29 है, खसरा संवत 2051 से 54 प्रदर्श 30 है, खसरा संवत 2043 से 46 प्रदर्श 31 है, ,खसरा संवत 2035 से 38 प्रदर्श 32 है, खसरा संवत 2047 से 49 प्रदर्श 33 प्रस्तुत किये है तथा नियमन छायाप्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी दस्तावैजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है एंव नाही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है।

हमने विद्वान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजी साक्ष्य एंव दस्तावेजो का अवलोकन किया निर्णय निम्न प्रकार है–

तनकी नं0 1– आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 527, 529 वाके ग्रम मालोनी पंवार तहसील सैपऊ के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।(वादीगण)

(वादीगण)

उंक्त तनकी 1 और 2 को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी निरोती का ब्यान कराकर वाद पत्र की पूर्ण ताईद की है वादी ने अपने दस्तावैजी साक्ष्य नामा0 संख्या 211 प्रस्तुत की थी जो प्रदर्श 1 है जिसमें किशनलाल के पक्ष में विवादित नम्बर 527 एंव 529 का नियमन होना पूर्णतय सिद्व है तथा प्रदर्श 2 वादीगण के पक्ष मे विरासतन नामा0 है तथा प्रदर्श 4 विधिक नोटिस है जिसके माध्यम से प्रतिवादीगण को खातेदारी प्रदान करने हेतु पूर्णतय सूचना दी गई थी। दस्तावैजी साक्ष्य में प्रदर्श 5 लगायत 32 से भी वादीगण के पूर्वजो के पक्ष मे वैद्य नियमन व वैद्य स्वत्व व वैद्य कब्जा पूर्णतयः सिद्व है। तथा मौखिक साक्ष्य से भी वादीगण ने अपने कब्जेकाश्त एंव वैद्य स्वामित्व व नियमन को सिद्व किया है तथा अधिवक्ता वादी ने अपनी मौखिक बहस मे विवादित भूमि की प्रिमियम राशि जमा कराने में सहमति जाहिर की। उपरौक्त तनकीयो एंव दस्तावैजी साक्ष्यो के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी के खसरा नम्बर 527 रकवा 2 वीघा 529 रकवा 2 वीघा 10 विश्वा स्थित वाके ग्राम मालोनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के नियमानुसार प्रिमियम राशि यदि देय हो तो जमा कराने की शर्त पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही वर्तमान राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जावें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

ाज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास –हरिसिह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 18/2019

1–निरोती पुत्रश्री किशनलाल 2–मु0 पुनियां 3–मु0 प्रेमदेई 4–मु0 अनारदेई पुत्रीयांन किशनलाल जातिगण चमार निवासीगण मालोनी पंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) वं हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री योगेशकुमार शर्मा एडवोकेट मिनजानिव मुद्दायलह श्री .... एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी के खसरा नम्बर 527 रकवा 2 वीघा 529 रकवा 2 वीघा 10 विश्वा स्थित वाके ग्राम मालोनीपंवार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के नियमानुसार प्रिमियम राशि यदि देय हो तो जमा कराने की शर्त पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही वर्तमान राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जावें

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 03.10.2019 को जारी की गई।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ